



P-ISSN: 2706-7483
E-ISSN: 2706-7491
IJGGE 2020; 2(2): 125-130
<http://www.geojournal.net>
Received: 25-05-2020
Accepted: 26-06-2020

Aayushi Jain
Scholar (Geography) University
of Kota, Rajasthan, India

**Dr. Ajay Vikram Singh
Chandela**
Associate Professor,
Government Arts College, Kota,
Rajasthan, India

वन्यजीव गलियारे: विकास और संरक्षण के अन्तर्द्वन्द्व का समाधान

Aayushi Jain and Dr. Ajay Vikram Singh Chandela

सारांश

विकास की बढ़ती लालसा बहुमूल्य वन्यजीवों को दरकिनार कर विनाश के कगार पर जा पहुँची है। जानवरों के लगातार हो रहे विकास और मानव एवं वन्यजीवों के बीच चल रहे संघर्ष ने सतत और संतुलित विकास में संकट उत्पन्न कर दिया है। विकास से तात्पर्य केवल भौतिक प्रगति से ही नहीं है अपितु प्रकृति एवं अन्य प्राकृतिक घटकों जैसे – जल, वायु, भूमि, वन्यजीव और अन्य सभी संसाधनों के सतत विकास से भी है। वन्यजीव भी मानव की तरह इसी धरती पर रहते हैं और पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक हैं। वन्यजीवों का संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है जितना मानव का विकास और संरक्षण। ऐसी परिस्थिति में दोनों के हितों में टकराव स्वाभाविक है।

विकास की अन्धी दौड़ में यह तय करना कठिन हो गया है कि विकास मानवोन्मुख हो या वन्यजीवोन्मुख और यदि विकास में सन्तुलन को महत्व दिया जाये तो परस्पर हितों के टकराव की स्थिति में किसका पक्ष लिया जाये? मानव जनसंख्या के बढ़ते दबाव और वन्यजीव आवासों के निरन्तर ह्रास ने इस प्रश्न को और अधिक विचारणीय बना दिया है। विकास और संरक्षण के अन्तर्द्वन्द्व का मुख्य कारण जनसंख्या विस्फोट से संसाधनों पर बढ़ता दबाव है। बढ़ती जनसंख्या के आवास, भोजन, आवागमन इत्यादि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि उपयोग में आये परिवर्तन ने वन्यजीव आवासों को संकुचित और खण्डित कर दिया है। वन्यजीव केवल संरक्षित क्षेत्रों में सिमटकर रह गये हैं। अतः वन्यजीवों का एक प्राकृतिक आवास से दूसरे प्राकृतिक आवास में होने वाला पलायन, मानवीय आवास क्षेत्रों से होना स्वाभाविक है। यही मानव और वन्यजीवों के टकराव का प्रमुख कारण है।

अतः वन्यजीव गलियारों का विकास एक सीमा तक इस संघर्ष को कम करने में सहायक सिद्ध होगा। वन्यजीव गलियारे, वन्यजीवों को एक सुरक्षित मार्ग प्रदान करेंगे और उन्हें मानव बस्तियों से दूर रखने में सहायक सिद्ध होंगे।

मुख्य बिन्दु :- मानव-वन्यजीव संघर्ष, वन्यजीव गलियारा, भूमि-उपयोग परिवर्तन, सतत विकास, भूमि अधिग्रहण


प्रस्तावना

अध्ययन क्षेत्र में जिस प्रमुख समस्या की पहचान की गई है, वह है 'खण्डित वन्यजीव आवास और वन्यजीवों की बढ़ती आबादी के कारण उनका संरक्षित क्षेत्रों से बाहर पलायन।' वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार भारत में 29% बाघ संरक्षित क्षेत्रों से बाहर हैं। इसी प्रकार रणथम्भौर बाघ संरक्षित क्षेत्र से भी लगभग 15-20 बाघ सदैव निकटवर्ती क्षेत्रों में विचरण करते रहते हैं और मानव व पालतू पशुओं को अपना शिकार बनाते हैं या फिर सड़क व रेल दुर्घटनाओं अथवा शिकारियों व ग्रामवासियों द्वारा मौत के घाट उतार दिये जाते हैं। अतः अध्ययन क्षेत्र की प्रमुख समस्या खण्डित वन्यजीव आवासों के मध्य सुरक्षित पलायन मार्गों का अभाव होना है।

अध्ययन क्षेत्र

राजस्थान राज्य के दक्षिणी-पूर्वी भाग में रणथम्भौर बाघ संरक्षित क्षेत्र और मुकन्दरा बाघ संरक्षित क्षेत्र के मध्य स्थित एक प्राकृतिक वन्यजीव गलियारा है जो सवाईमाधोपुर, कोटा और झालावाड़ जिलों से गुजरता है। यह गलियारा 23°30' से 26°22' उत्तरी अक्षांश और 75°29' से 76°56' पूर्वी देशान्तर के मध्य विस्तृत है।

Corresponding Author:
**Dr. Ajay Vikram Singh
Chandela**
Associate Professor,
Government Arts College, Kota,
Rajasthan, India



रणथम्भौर एवं मुकन्दरा बाघ संरक्षित क्षेत्रों के मध्य राजस्थान के मानचित्र द्वारा प्रदर्शित संभावित प्राकृतिक वन्यजीव गलियारा

स्रोत :- अनुमानित प्राकृतिक वन्यजीव गलियारा

- **रणथम्भौर बाघ संरक्षित क्षेत्र** :- वर्ष 1991 में रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान, मानसिंह वन्यजीव अभयारण्य और कैलादेवी वन्यजीव अभयारण्य को सम्मिलित रूप से रणथम्भौर बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। यह 25°41' से 26°22' उत्तरी अक्षांश और 76°16' से 77°14' पूर्वी देशान्तर के मध्य अवस्थित हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 1334 वर्ग किलोमीटर हैं।
- **मुकन्दरा बाघ संरक्षित क्षेत्र** :- 9 अप्रैल, 2013 को मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान, दरा अभयारण्य, जवाहर सागर अभयारण्य एवं राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य क्षेत्रों को सम्मिलित रूप से

मुकन्दरा बाघ संरक्षित घोषित किया गया। यह 24°37' से 25°7' उत्तरी अक्षांश और 75°26' से 76°12' पूर्वी देशान्तर के मध्य अवस्थित हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 759.99 वर्ग किलोमीटर हैं।

इन दोनों बाघ संरक्षित क्षेत्रों के मध्य ही वन्यजीव गलियारा हैं जो क्रमशः सवाईमाधोपुर (सवाईमाधोपुर जिला) पीपलदा, दीगोद और कनवास (कोटा जिला) तथा झालरापाटन (झालावाड़ जिला) तहसीलों में विस्तृत हैं।

उद्देश्य

- ✓ शोधकार्य का मुख्य उद्देश्य रणथम्भौर बाघ संरक्षित क्षेत्र में बढ़ रहे वन्यजीव दबाव को उजागर कर उसे कम करने के प्रयास करना।
- ✓ रणथम्भौर बाघ संरक्षित क्षेत्र के वन्यजीव दबाव को कम करने के लिए उपस्थित प्राकृतिक वन्यजीव गलियारे का सीमांकन करना और उसे अधिक विकसित और संरक्षित करना।
- ✓ वे तरीके खोजना जिनके द्वारा वन्यजीव आवासों और वन्यजीव गलियारे के निकटवर्ती क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप को कम किया जा सकें।
- ✓ मानव-वन्यजीव टकराव की स्थिति को उत्पन्न होने से रोका जा सकें ऐसे उपाय खोजना।
- ✓ वन्यजीवों को सड़क व रेल दुर्घटनाओं जैसे जानलेवा संकट से दूर रखने का प्रयास करना।
- ✓ वन्यजीव गलियारों के माध्यम से सतत् विकास और जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देना।

शोध परिकल्पनाएँ

1. वनों के ह्रास से वन्यजीव आवास खण्डित हुए हैं।
2. भूमि उपयोग परिवर्तन और वन भूमि अधिग्रहण से वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास सिकुड़ गये हैं।
3. वन्यजीवों के प्राकृतिक आवासों के खण्डन और सिकुड़ने से तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में मानव हस्तक्षेप बढ़ने से मानव-वन्यजीव टकराव बढ़ा है।

विधितंत्र

- शोधकार्य में मानचित्रों और स्थलाकृतिक पत्रकों की सहायता से अध्ययन क्षेत्र का मानचित्रण किया गया है।
- बाघ संरक्षित क्षेत्र में वन्यजीव दबाव का आंकलन करने के लिए रणथम्भौर बाघ संरक्षित क्षेत्र कार्यालय, सर्वाइमाधोपुर और मुकन्दरा उप वन संरक्षक कार्यालय, कोटा के संकलित तथ्यों और विभिन्न समाचार-पत्रों और प्रकाशित सूचनाओं का प्रयोग किया गया है।

- वन्यजीव आवास क्षेत्रों और पलायन मार्गों के निकटवर्ती क्षेत्रों में मानव-वन्यजीव टकराव का अध्ययन उन क्षेत्रों में बसे गाँवों के निवासियों से प्रश्नावली के माध्यम से किया गया है।
- वन्यजीव गलियारे की उपस्थिति का आंकलन करने के लिए स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाकर तथ्य संकलित किये गये और प्राथमिक तथ्यों के आधार पर इसकी पुष्टि की गई है।

वन्यजीव गलियारों के विकास से सम्बन्धित कारकों का विश्लेषण वन्यजीव गलियारे क्या हैं ?

वन्यजीव गलियारे एक ऐसी वानस्पतिक शृंखला कहे जा सकते हैं जो दो समान पारिस्थितिकी के वन्यजीव आवासों को जोड़ते हैं। इनके माध्यम से किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राकृतिक वन्यजीव आवास एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये वन्यजीवों को विस्तृत आवास क्षेत्र, पर्याप्त आहार और दीर्घकालिक आनुवंशिक विनिमय के अवसर प्रदान करते हैं।

सोले और गिलपिन (1991) के अनुसार, 'वन्यजीव गलियारे एक द्विआयामी भूदृश्य हैं जो शूतकाल में जुड़े हुये वन्यजीव आवासों को जोड़ते हैं।'

वैश्विक स्तर पर वन्यजीव गलियारों को प्राकृतिक राजमार्ग' के नाम से सम्बोधित किया जाता है। वास्तव में ये 'वन्यजीव गलियारे' मनुष्यों के साथ निकटता के बावजूद, सम्पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को विस्तृत और विकसित करने में मदद कर सकते हैं।

वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न वन्यजीवों के लिए वन्यजीव गलियारे बनाये गये हैं।

- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 31 मई, 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला संघीय रूप से नामित वन्यजीव गलियारा बनाया गया। जिसे ग्रेटर यलोस्टोन पारिस्थितिकी तंत्र में प्रोगहॉर्न के पथ के रूप में जाना जाता है।



प्राकृतिक वन्यजीव गलियारे के अन्तर्गत वनखण्डों या किसी नदी इत्यादि के किनारे स्थित क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। जैसे- कान्हा-पेंच वन्यजीव गलियारा। शोधकार्य का अध्ययन क्षेत्र एक ऐसा ही प्राकृतिक गलियारा है।



बहुत अधिक मानव गतिविधि वाले क्षेत्रों में निर्मित लैण्ड ब्रिज और भूमिगत सुरंगें कृत्रिम वन्यजीव गलियारे के अन्तर्गत आती हैं। जैसे- हरिद्वार-दून हाइवे पर निर्माणाधीन अंडरपास।

वन्यजीव गलियारे प्राकृतिक और कृत्रिम हो सकते हैं

(1) प्राकृतिक वन्यजीव गलियारे

ये आमतौर पर पतली स्ट्रिप्स या उच्चगुणवत्ता वाली निवास की छोटी कड़ियों की एक शृंखला होते हैं, जो पृथक् आवास खण्डों को जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, पक्षी अक्सर जलमार्गों (जैसे-

नदी किनारे या समुद्री तट) का उपयोग प्रवास मार्ग के रूप में करते हैं क्योंकि ये आवास और संसाधन प्रदान करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक गलियारे निम्न हैं -

<ul style="list-style-type: none"> ● तितली रिपेरियन क्षेत्र
<ul style="list-style-type: none"> ● उत्तरी अमेरिकी प्रवासी वायुमार्ग— ये चार हैं : प्रशांत वायुमार्ग, मध्य वायुमार्ग, मिसिसिपी वायुमार्ग और अटलांटिक वायुमार्ग। ये प्रवासी पक्षी और कीटों के लिए उपयोगी हैं।
<ul style="list-style-type: none"> ● प्रशांत महासागर के गलियारे— यह सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र के अन्दर विस्तृत हैं। इनमें दो प्रमुख हैं: कैलिफोर्निया धारा मार्ग और उत्तर-तटीय गलियारा अर्थात् उत्तरी प्रशांत संक्रमण क्षेत्र। इनका उपयोग करने वाली प्रजातियों में व्हेल, शार्क, सील, समुद्री पक्षी, कछुए और द्यूना शामिल हैं।

(2) कृत्रिम वन्यजीव गलियारे

इनका निर्माण बहुत अधिक मानव गतिविधिवाले क्षेत्रों में किया जाता है। लैंड ब्रिज या भूमिगत सुरंगें कृत्रिम वन्यजीव गलियारे हैं जो जानवरों को सुरक्षित मार्ग प्रदान करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कृत्रिम वन्यजीव गलियारे निम्न हैं—

- बनफ वन्यजीव पुल, ट्रांस कनाडा राजमार्ग पर
- क्रिसमस द्वीप केकड़ा पुल और सुरंगें
- सावंतवाड़ी-डोडामार्ग वन्यजीव गलियारा, दक्षिण पश्चिमी भारत
- ओस्लो-नार्वे का मधुमक्खी राजमार्ग
- राजमार्ग 93 वन्यजीव क्रॉसिंग, मोन्टाना
- बर्नहैम वाइल्डलाइफ कॉरिडोर, शिकागो
- जैडरिज क्रिलू प्राकृतिक पुल, नीदरलैंड

➤ राष्ट्रीय स्तर पर, भारत में भी हाथी, बाघ जैसे वन्यजीवों के लिए वन्यजीव गलियारे बनाये गये हैं। वर्तमान में भारत में लगभग 101 वन्यजीव गलियारे हैं। (स्रोत :- गलियारों का अधिकार : भारत के हाथी गलियारे, द्वितीय संस्करण)

जबकि बाघों के लिए भारत में लगभग 30 वन्यजीव गलियारे उपस्थित हैं। बाघों के आवास क्षेत्रों को जोड़ने के लिए मध्यप्रदेश में स्थित कुछ वन्यजीव गलियारे निम्न हैं—

- कान्हा-पेंच कॉरिडोर
- सतपुड़ा-पेंच कॉरिडोर
- कान्हा-अचानकमार कॉरिडोर
- कान्हा-नवगाँव कॉरिडोर
- सतपुड़ा-मेलघाट कॉरिडोर

वन्यजीव गलियारों की आवश्यकता

1. मानव द्वारा विकास के नाम पर नगरों का विस्तार, कृषि कार्य, खनन, उद्योग स्थापना, सड़क व रेल निर्माण जैसे अनेक कार्यों के लिए किये गये वन भूमि अधिग्रहण ने वन्यजीवों के प्राकृतिक आवासों को खण्डित और संकुचित कर दिया है। ऐसी स्थिति में वन्यजीव गलियारे वन्यजीवों के संरक्षण के सर्वोत्तम उपायों में से एक हैं।

जिले का नाम	वनों का प्रतिशत		अन्तर
	वर्ष 1996-97	वर्ष 2017	
झालावाड़	4.84%	6.64%	+1.80% (112 वर्ग किमी)
कोटा	12.06%	9.06%	3% (350 वर्ग किमी)
सवाईमाधोपुर	13.37%	10.53%	-2.84% (320 वर्ग किमी)

स्रोत :- इंडिया स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्ट

सारणी के अनुसार, झालावाड़ जिले के अतिरिक्त दोनों जिलों में वनक्षेत्र का निरंतर ह्रास हो रहा है। अतः वनह्रास से खण्डित और संकुचित हुए वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों को जोड़ने के लिए एक ऐसे माध्यम की आवश्यकता है जो सुरक्षित हो।


2. 1970 के दशक के बाद से बाघों के साथ मानव संघर्ष धीरे-धीरे बढ़ा, जब भारत ने एक राष्ट्रव्यापी बाघ संरक्षण परियोजना शुरू की, जिसने बड़ी बिल्ली को मारना अपराध बना दिया। जनगणना के सबूत बताते हैं कि बाघों की

संख्या 2014 में लगभग 1800 से 2226 हो गई है और वर्ष 2018 में 2967 आंकी गई है। अतः 33% वृद्धि दर्ज की गई। लेकिन बाघों की संख्या में वृद्धि, निवास स्थान के आनुपातिक वृद्धि के साथ नहीं हुई है। अतः बाघों के प्रजनन व विचरण के लिए जगह की जरूरत है। भारत सरकार द्वारा जारी बाघ गणना के आँकड़े निम्नलिखित हैं—


भारत सरकार द्वारा जारी बाघ गणना के आँकड़े

वर्ष	बाघों की संख्या
2006	1,411
2010	1,706
2014	2,226
2018	2,967

स्रोत :- आल इंडिया टाईगर एस्टीमेशन 2014 स्टेटस ऑफ टाईगर्स इन इंडिया 2018



इसी प्रकार रणथम्भौर बाघ संरक्षित क्षेत्र में 71 बाघ-बाघिन हैं, जिनमें 25 बाघ, 25 बाघिने और 21 शावक हैं। यह संरक्षित क्षेत्र की बाघ क्षमता से बहुत अधिक है। रणथम्भौर बाघ संरक्षित क्षेत्र में गत वर्षों में बाघों की संख्या में परिवर्तन को निम्न आरेख द्वारा सरलता से समझ सकते हैं।



एक मोटे अनुमान के अनुसार, एक नर बाघ को लगभग 25 वर्ग किलोमीटर तथा एक बाघिने को 15 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र की आवश्यकता होती है। अतः रणथम्भौर बाघ संरक्षित क्षेत्र की क्षमता लगभग 50 बाघ-बाघिनों की है। ऐसी स्थिति में, बढ़ते वन्यजीव दबाव को कम करने के लिए ऐसे प्राकृतिक मार्गों की आवश्यकता है जो इन्हें दूसरे संरक्षित क्षेत्र की ओर प्रवास हेतु सुरक्षा प्रदान कर सकें।

3. यदि वन्यजीवों द्वारा एक निश्चित पलायन मार्ग का प्रयोग

करेंगे तो आमजन को वन्यजीवों से खतरा कम होगा, क्योंकि वन्यजीवों के मानव निवास क्षेत्रों में प्रवेश कर जाने पर वन्यजीवों और आमजन, दोनों की सुरक्षा पर खतरा बना रहता है।

वन्यजीव कार्यालय द्वारा प्रकाशित आँकड़ों के अनुसार पिछले एक दशक में बाघों के हमले में 14 मौतें हुई हैं जबकि वर्ष 2010 से पहले के तीन दशकों में यह संख्या मुश्किल से 2 रही होगी। पिछले 45 दिनों (सितम्बर-अक्टूबर, 2019) में रणथम्भौर बाघ संरक्षित क्षेत्र में तीन व्यक्तियों की बाघों द्वारा हत्या कर दी गई। वर्ष 2019 में यह आँकड़ा काफी भयावह रहा है। दूसरी ओर, वन्यजीवों के संदर्भ में, राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाये तो वर्ष 2018 में सड़क व रेल दुर्घटनाओं में 161 जंगली जानवरों की मौत हो चुकी है, जबकि जनवरी, 2019 से मई, 2019 तक के पाँच महीनों में क्षेत्रीय लड़ाई, अवैध शिकार अथवा सड़क दुर्घटनाओं में भारत में 51 बाघों की मौत हो चुकी है, जो वर्ष 2019 में मारे गये कुल 102 बाघों में से आधा है। अतः हमारा प्रयास हो कि ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न ही ना हो।

4. यदि वन्यजीव पलायन हेतु निश्चित मार्गों का ही प्रयोग करेंगे तो वन्यजीवों की ट्रेकिंग करना, शिकारियों पर निगरानी रखना और वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अपेक्षाकृत सरल होगा।
5. यदि वन्यजीव प्रवास मार्गों की सुनिश्चितता होगी तो वे विकास के मार्ग में बाधक नहीं बनेंगे क्योंकि तब रेल व सड़क मार्गों के निर्माण, नगर विस्तार आदि कार्य पूर्वनियोजित ढंग से किये जा सकेंगे।
6. हाल ही में सितम्बर, 2020 में वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के 16 किलोमीटर क्षेत्र में बनाये गये 9 एनिमल अण्डरपास से दस माह में 5,450 जंगली जानवर गुजरे हैं। पेच टाइगर रिजर्व में बनाये गये दुनिया के सबसे लम्बे इस एनिमल क्रॉसिंग स्ट्रक्चर से वन्यजीव व वाहनों के टकराने की हजारों घटनायें भी टली हैं। अतः इस प्रकार के प्रयासों से बिना विकास को बाधित किये वन्यजीव संरक्षण संभव है।
7. यदि वन्यजीव गलियारों का सीमांकन कर दिया जाये तो उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में निर्माण-कार्यों की सीमा तय की जा सकेगी और किसी भी तरह का मानव हस्तक्षेप निषिद्ध कर दिया जायेगा, जिससे कि विकास, संरक्षण के मार्ग में बाधा उत्पन्न ना कर सकें।

❖ वन्यजीव गलियारों की उपयोगिता

1. पर्यावास हानि से आनुवंशिक विविधता विलुप्त हुई है तथा पौधों और वन्यजीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अतः यह वन्यजीव गलियारा एक संरक्षित क्षेत्र पर दबाव कम करने, उसे सतत् बनाये रखने और अन्य संरक्षित क्षेत्र से संबंध प्रदान कर वन्यजीवों के निरन्तर अस्तित्व को बनाए रखने में उपयोगी होता है।
2. शहरी परिदृश्य में वन्यजीव गलियारों शहरी वायु संचार (वेंटिलेशन) में सुधार और शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव को कम करते हैं। साथ ही मानव स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं।
3. जब वन्यजीव आवास खण्डित होते हैं तो जैव विविधता घट जाती है। ऐसी स्थिति में वन्यजीव गलियारों, विकास को प्रकृति के साथ सामंजस्यता और अपेक्षाकृत संतुलन की अनुमति देते हैं।
4. वन्यजीव गलियारों व पेड़-पौधों की विभिन्न प्रजातियों के मध्य जीन प्रवाह को बढ़ावा देते हैं जो उनकी दीर्घकालिकता को सुनिश्चित करता है।

5. वन्यजीव गलियारों खण्डित वन्यजीव आवासों को जोड़ते हैं जिससे वन्यजीव स्वच्छन्दता और स्वतंत्रता से विचरण कर सकें।
6. वन्यजीव गलियारों मानव-वन्यजीव टकराव को कम करते हैं।

❖ वन्यजीव गलियारों के संरक्षण में समस्याएँ

बढ़ती जनसंख्या के कारण नगरों का विस्तार हुआ है और कृषि कार्य आदि के कारण वन्यजीव आवास क्षेत्रों के निकटवर्ती भागों में मानव ने अपने निवास स्थान बसा लिए हैं, अब उन गाँवों का पुनर्वास वन्यजीव गलियारों के संरक्षण में सबसे बड़ी समस्या है। आवागमन के साधनों के विस्तार से वन क्षेत्रों में भी सड़क व रेलमार्गों का जाल बिछ गया है। ये मार्ग वन्यजीव गलियारों के संरक्षण में दो धारी तलवार के समान कार्य करते हैं। एक, इनके निर्माण के समय वनों का हास होता है और दूसरा, इन मार्गों के निर्माण के बाद वन्यजीव-वाहन टकराव से वन्यजीवों के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा बना रहता है।

निष्कर्ष

21वीं सदी में जिस तीव्रता से विकास हुआ है, उसने वन हास को बढ़ावा दिया, भूमि उपयोग के स्वरूप में अत्यधिक परिवर्तन किया और पर्यावरण को क्षति पहुँचायी है। वर्तमान में भूमि, जल व वायु प्रदूषण अपने चरम पर हैं जिसने न केवल मानव स्वास्थ्य अपितु पेड़-पौधे और वन्यजीवों के हास को बढ़ावा दिया है जिससे कई प्रजातियाँ विलुप्ति के कगार पर हैं। अतः यदि अब भी जागरूकता के साथ विकास और संरक्षण के मध्य सामंजस्य के प्रयास नहीं किये गये तो इसके गंभीर परिणाम मानव को भी भुगतने होंगे। प्रकृति के साथ सामंजस्य के बिना सतत् विकास संभव नहीं है जबकि स्वस्थ जीवन जीने और भविष्य में आने वाले संकटों से बचने के लिए सतत् विकास आवश्यक है। सतत् विकास के लिए जन-जागरूकता, पर्यावरण सुरक्षा में जन भागीदारी, सरकारी प्रयास अति आवश्यक हैं। इसके साथ ही वन क्षेत्र का विस्तार, वन्यजीवों की सुरक्षा, वनों में मानव हस्तक्षेप को कम करना, अवैध शिकार को रोकना, वन्यजीवों को विस्तृत एवं सुरक्षित आवास क्षेत्र उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मानव और प्रकृति एक-दूसरे के पूरक हैं। अतः दीर्घकालिक स्वस्थ जीवन के लिये विकास और प्राकृतिक घटकों के संरक्षण के मध्य सन्तुलन बनाये रखना आवश्यक है।

संदर्भ

1. उप वन संरक्षक कार्यालय, मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान, कोटा।
2. Valmik Thapar, Oxford University Press, 2007, "The Illustrated Tigers of India"
3. Valmik Thapar, "Land of The Tiger : A Natural History Of The Indian Subcontinent", University of California Press
4. Bina Kak, "Silent Sentinels of Ranthambhore"
5. Chris Brunskill, "Tiger Forest : A Visual Study of Ranthambhore National Park"
6. Soonoo Taraporewala, "Tiger Warrior : Fateh Singh Rathore of Ranthambhore"
7. Draft National Wildlife Action Plan (2017-2031) page no. 59, page no. 41
8. Jorn Thomassen, John Linnell, Ketil Skogen; "Wildlife-Human Interactions : From conflict to coexistence in Sustainable Landscapes (Final report from a joint Indo-Norwegian project 2007-2011)
9. India State of Forest Report, 2009 : Forest Survey of India

10. Rajasthan-isfr-2017 Report
11. State of Forest Report 1999
12. Corridor analysis in Rajaji-Corbett elephant reserve
13. website: www.census2011.co.in
14. website: www.indiatoday-in.cdn.ampproject.org
15. website: www.zoolex.org